Seventeenth Loksabha

p>

Title: Request to government to change the rule of provision of Hospital with less than 200 beds and establish Medical college or AIIMS Hospital in Hamirpur.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं । मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आता हूं । यह बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र है और आबादी कम है । यहां एक गांव से दूसरे गांव और एक नगर से दूसरे नगर की दूरी औसत देश के अन्य क्षेत्रों से अधिक है ।

उत्तर प्रदेश सरकार यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयास कर रही है । इंडियन मेडिकल काउंसिल पर स्वास्थ्य की चिंता की जिम्मेदारी है, मैं बहुत ही दुखी होकर कहना चाहता हूं कि आईएमसी ने सस्ता इलाज कराने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया । जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तब देश में सस्ती दवाइयां और सस्ता ट्रांसप्लांट शुरू हुआ । अब यह नियम बना दिया है कि जिस जगह पर 200 बैड से कम का अस्पताल होगा, वहां मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया जा सकता ।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आईएमसी के नियमों में परिवर्तन कराया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर और महोबा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई जाए जो कि नितांत आवश्यक है । इसके लिए भूमि देख ली गई है । वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

इसके साथ ही एक निवेदन और है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक भी एम्स नहीं है । यहां एम्स की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है । अगर यहां मेडिकल कॉलेज बनाने में दिक्कत हो तो सरकार निर्णय ले और मेरे संसदीय क्षेत्र में एम्स अस्पताल बनाने का कष्ट करें ।